

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भंडारी-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 20.02.2015 को प्रश्नगत परियोजना के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री हीरा सिंह, वन रक्षक/ दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री कुन्दा सिंह, राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री चंचल सिंह कोरंगा, अवर अभियंता, श्री प्रदीप तिवारी, अमीन द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/ नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 0.00 है०, सिविल सोयम वन भूमि 0.4624 है०, वन पंचायत भूमि 1.9718 है० कुल 2.4342 है० वन भूमि एवं 2.5858 है० नाप भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/ संरक्षण को सर्वथा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से ग्राम नरगोली, सिमायल, भंडारीगांव, सलिया एवं कफाली त्रिगुणा की कुल 538 जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 167 वृक्षों व नाप भूमि पर 48 वृक्षों का पातन निहित है जिनकी प्रजातिवार/ व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(चंचल सिंह कोरंगा) (प्रदीप तिवारी) (हीरा सिंह)
अवर अभियंता अमीन राजस्व उप निरीक्षक वन रक्षक/ दरोगा
(प्रयोक्ता एजेन्सी) लो०नि०वि० राजस्व विभाग प्रतिनिधि वन विभाग प्रतिनिधि

सहायक अभियंता वनक्षेत्र अधिकारी तहसीलदार सहायक वन अधिकारी
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि० धरमधर कांडा बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर (सदस्य) (सदस्य) (सदस्य)

अधिसासी अभियंता उपजिलाधिकारी
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि० कांडा / अध्यक्ष संयुक्त निरीक्षण
बागेश्वर समिति तहसील कांडा

प्रधान/ वन पंचायत सरपंच

प्रभागीय वनाधिकारी प्रधान जिला अधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर ग्राम पंचायत घटगाड बागेश्वर
(सदस्य) (सदस्य) (सदस्य)